उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 12.04.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

मिशन शक्ति फेज-5.0 (द्वितीय चरण) के अंतर्गत जनपद महोबा में व्यापक जनजागरूकता अभियान संचालित

मिशन शक्ति फेज-5.0 (द्वितीय चरण) के अंतर्गत जनपद महोबा के समस्त थानों में व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन को सुदृढ़ एवं सशक्त बनाने के उद्देश्य से संचालित विशेष अभियान के क्रम में आज दिनांक 12.04.2026 को जनपद महोबा में विभिन्न जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

उक्त कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद के समस्त थानों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में संपन्न कराए गए।

कार्यक्रम के अंतर्गत पुलिस टीमों द्वारा बाजारों, सार्वजनिक स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों एवं ग्राम/कस्बा क्षेत्रों में पहुंचकर महिलाओं एवं बालिकाओं से संवाद स्थापित किया गया। इस दौरान उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना गया तथा उन्हें आश्वस्त किया गया कि किसी भी प्रकार की शिकायत, उत्पीड़न अथवा आपात स्थिति में पुलिस द्वारा त्वरित सहायता प्रदान की जाएगी।

पुलिस टीमों ने महिलाओं को घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, साइबर अपराध एवं अन्य महिला संबंधी अपराधों के प्रति जागरूक करते हुए उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी। साथ ही महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, 112, 181 आदि एवं मिशन शक्ति केंद्रों की सेवाओं के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया।

कार्यक्रम के दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं को आत्मरक्षा के प्रति प्रेरित करते हुए यह संदेश दिया गया कि वे किसी भी प्रकार की समस्या के संबंध में निडर होकर पुलिस से संपर्क करें।

जनपद महोबा पुलिस महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, उन्हें सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने तथा उनके प्रति होने वाले अपराधों की रोकथाम हेतु निरंतर सक्रिय एवं प्रतिबद्ध है।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः– 12.04.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

मिशन शक्ति फेज–5.0 (द्वितीय चरण) के तहत महिला सुरक्षा एवं साइबर जागरूकता अभियान — महोबा पुलिस का संवेदनशील प्रयास-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में संचालित मिशन शक्ति फेज–5.0 (द्वितीय चरण) अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के उद्देश्य से विभिन्न जनजागरूकता कार्यक्रम, कार्यशालाएँ एवं संवाद सत्र आयोजित किए जा रहे हैं।

इसी क्रम में आज दिनांक 12.04.2026 को जनपद के समस्त थानों में नियुक्त मिशन शक्ति पुलिस टीमों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत स्कूलों/कॉलेजों एवं सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचकर छात्राओं, छात्रों एवं महिलाओं को आत्मरक्षा, उनके अधिकारों तथा साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया गया।

कार्यक्रमों के दौरान छात्राओं को 'गुड टच' व 'बैड टच' की पहचान, आत्मरक्षा के सरल उपाय तथा महिला सम्बन्धी अपराधों से बचाव के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि) के सुरक्षित एवं जिम्मेदार उपयोग के लिए प्रेरित किया गया।

साइबर अवेयरनेस कैम्पेन — डिजिटल युग में सुरक्षा की ओर कदम-

मिशन शक्ति कार्यक्रम के साथ-साथ महोबा पुलिस द्वारा "साइबर अवेयरनेस कैम्पेन" भी संचालित किया जा रहा है। इसके तहत लोगों को साइबर अपराधों के प्रकार, उनसे बचाव के उपाय, साइबर फ्रॉड की पहचान, फेक लिंक/ओटीपी धोखाधड़ी से सतर्क रहने की जानकारी दी गई।

इस दौरान छात्र/छात्राओं को साइबर अपराध की शिकायत हेतु राष्ट्रीय हेल्पलाइन नम्बर 1930 एवं पोर्टल www.cybercrime.gov.in के माध्यम से शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया से भी अवगत कराया गया।

महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर—

- 1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1090 – वीमेन पावर लाइन 181 – महिला हेल्पलाइन 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा 102 – गर्भवती महिलाओं/नवजात शिशुओं के लिए एम्बुलेंस सेवा 108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा 1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन 101 – अग्निशमन सेवा 1930 – साइबर हेल्पलाइन

अभियान का उद्देश्य-

मिशन शक्ति फेज–5.0 (द्वितीय चरण) एवं साइबर अवेयरनेस कैम्पेन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में आत्मविश्वास का संचार करना, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना तथा समाज में महिला सम्मान की भावना को और अधिक सशक्त बनाना है।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांकः– 12.04.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चला विशेष अभियान, 26 वारण्टी गिरफ्तार...।

जनपद महोबा में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने एवं न्यायालय द्वारा जारी वारंटों के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह एवं समस्त क्षेत्राधिकारीगण के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 12.04.26 को 01 दिवसीय विशेष अभियान चलाया गया।

उक्त अभियान के अंतर्गत जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में विशेष टीमें गठित कर वारण्टी अभियुक्तों की धरपकड़ हेतु व्यापक कार्यवाही की गई। टीमों द्वारा सक्रिय रूप से संभावित स्थानों पर दबिश दी गई तथा वारण्टी अभियुक्तों की तलाश कर उन्हें गिरफ्तार किया गया।

उक्त विशेष अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कुल 26 वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की कार्यवाही करते हुए निम्नानुसार सफलता प्राप्त की गई-

- थाना कोतवाली – 06 अभियुक्त
- थाना पनवाड़ी – 07 अभियुक्त
- थाना चरखारी – 03 अभियुक्त
- थाना अजनर – 03 अभियुक्त
- थाना कुलपहाड़ – 02 अभियुक्त
- थाना कबरई – 02 अभियुक्त
- थाना खरेला, श्रीनगर, महोबकंठ से 01- 01 अभियुक्त। कुल 26 वारण्टी अभियुक्त..।

इस अभियान के दौरान जनपद पुलिस द्वारा कुल 26 वारण्टी अभियुक्तों को सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए समस्त अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

यह विशेष अभियान जनपद में अपराध नियंत्रण, न्यायालयीय आदेशों के अनुपालन एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध हुआ है। भविष्य में भी इस प्रकार के अभियान निरंतर चलाए जाते रहेंगे, जिससे अपराधियों में कानून का भय बना रहे तथा आमजन में सुरक्षा का भाव सुदृढ़ हो।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांकः– 12.04.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

गिरफ्तार किये गये वारण्टी अभियुक्तों का विवरण निम्नवत है:-

1. भूपेन्द्र पुत्र हरीराम निवासी मु0 पठवापुरा कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा सम्बन्धित मु0न0 633/14 अ0सं0 993/14 धारा 452/323/504 भादवि
2. इन्द्रपाल सिंह पुत्र वनमाली निवासी ग्राम पचपहरा थाना कोत0 नगर जनपद महोबा सम्बन्धित केस न0 341/2019 धारा 138 एनआई एक्ट
3. शिवनारायण पुत्र बाबूलाल निवासी ग्राम गौरहारी थाना चरखारी जनपद महोबा सम्बन्धित केश न0 337/23 धारा 128 सीआरपीसी
4. अरूण कुमार पुत्र जमुना प्रसाद उम्र 47 वर्ष निवासी बडीहाट थाना कोतवाली नगर महोबा सम्बधित अ0स0 184/2008 धारा 337/338/279 भादवि
5. ज्ञान सिंह पुत्र स्व0 नत्थू सिंह निवासी ग्राम धवारी थाना खरेला जनपद महोबा हाल पता ताज पैलेस के सामने कच्ची मढैया लक्ष्मी मार्बल के खेत लौडी रोड थाना कोतवाली नगर महोबा सम्बधित मु0न0 16724/2023 धारा 138 एनआईए एक्ट
6. सतीशचन्द्र गुप्ता पुत्र स्व0 पूरनलाल गुप्ता निवासी मु0 गांधीनगर थाना कोतवाली नगर महोबा सम्बधित दा0प्र0वा0स0-35/23 धारा 138 एनआईए एक्ट
7. रऊफ अहमद पुत्र सकूर अहमद मु0 बडीहाट थाना कोतवाली नगर महोबा संबंधित मु0न0- 4008/24 धारा 138 एनआईए एक्ट
8. सुबे पुत्र जियालाल काछी उम्र करीब 45 वर्ष निवासी बनियातला थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा सम्बधित अ0स0 882/2011 धारा 3/5 लोक सम्पत्ति निवारण अधिनियम
9. हरिश्चन्द्र पुत्र गयादीन उम्र 63 वर्ष निवासी मु0 रायकोट मन्दिर के पास बन्धानवार्ड थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा सम्बधित दाण्डिक अपील सं0 45/21 धारा 372 सीआरपीसी
10. मथुरा प्रसाद उर्फ मथुरा अनुरागी चौखेलाल ग्राम मसूदपुरा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा सम्बन्धित मु0न0 6800/2021, अ0स0 206/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम
11. मंगल राजपूत पुत्र मोतीलाल राजपूत निवासी नगारा घाट थाना पनवाड़ी जनपद महोबा सम्बन्धित मु0न0 7366/2024, अ0स0 92/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम
12. अभियुक्त धनीराम पुत्र बारेलाल उर्फ बरवा ग्राम जगपुरा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा सम्बन्धित मु0न0 21809/2023, NCR NO. 13/2023 धारा 323/504/427 IPC आबकारी अधिनियम
13. वीरेन्द्र कुमार पुत्र लक्ष्मी प्रसाद ग्राम नटर्रा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा सम्बन्धित मु0न0 1575/2021, अपराध सं0 125/2020 धारा 323/506 भा0द0वि0
14. बृजगोपाल पुत्र शिवदयाल ग्राम खेडानानकारी थाना पनवाड़ी जनपद महोबा सम्बन्धित मु0न0 600349/2012, NCR नं0 101/2011 धारा 427 भा0द0वि0 से
15. चन्द्रभान पुत्र भजन लाल निवासी नौगाँव फदना रोड कस्बा पनवाड़ी थाना पनवाड़ी जनपद महोबा सम्बन्धित मु0न0 2154/2014, NCR नं0 08/14 धारा 323/504 भा0द0वि0
16. टिंकू तिवारी उर्फ रामकिशोर तिवारी पुत्र हल्के तिवारी नि0मु0 तिवारीपुरा कस्बा व थाना पनवाडी जनपद महोबा सम्बन्धित मु0न0 118/18 अ0स0 150/17 धारा 25 आर्म्स एक्ट अधिनियम
17. मानसिंह राजपूत पुत्र लखनलाल राजपूत उम्र 39 वर्ष निवासी ग्राम परापांतर थाना महोबकंठ जनपद महोबा सम्बन्धति मु0सं0 964/2019, अ0सं0 117/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
18. अमित पुत्र चतुर्भुज यादव निवासी दाउपुरा कस्बा श्रीनगर जनपद महोबा सम्बन्धित अ0स0 140/2019 धारा 279/337/338/427 भादवि
19. दीपक पुत्र टिरिया निवासी मु0 सादराय 2 कस्बा व थाना खरेला जनपद महोबा सम्बन्धित मु0न0- 460/ग्यारह/2023, व दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या 576/ग्यारह/2025, धारा- 125(3)द0प्र0सं0/144(3) बी0एन0एस0एस0,
20. प्रमोद पुत्र कड़ोरी राजपूत उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम कैथोरा थाना अजनर जनपद महोबा सम्बन्धित एनबीडब्ल्यू सीपी नं0- 2856/21 अ0सं0-451/12 धारा 35ए एक्ट थाना अजनर।
21. चन्दू उर्फ चन्द्रभान पुत्र बाबूलाल निवासी ग्राम महुआबांध थाना अजनर जनपद महोबा सम्बन्धित अ0सं0-33/26 धारा-115(2)/352/351(3)/126(2) /117(2) बीएनएस थाना अजनर ।
22. संजय कुमार यादव पुत्र श्याम सिंह यादव उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम बछेछर खुर्द थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा सम्बन्धित सीपी नंबर 551/2021 मु0अ0सं0 165/20 धारा 3/25 आयुध अधिनियम।
23. जगजीवन पुत्र गोविन्ददास निवासी मु0 खकरीपुरा कस्बा बेलाताल थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा सम्बन्धित मु0नं0 331/2019 अ0सं0 65/2019 धारा 279/304ए/427 भादवि
24. छिद्दू पुत्र ठाकुरदास निवासी मु0 दरेरापुरा कस्बा जैतपुर थाना कुलपहाड जनपद महोबा सम्बन्धित परिवाद संख्या 704/2011 धारा 323/504/506 भादवि
25. प्रागीलाल पुत्र मईयादीन निवासी ग्राम अलीपुरा थाना कबरई जनपद महोबा सम्बन्धित परिवाद सं0- 803/2022 धारा 323/325/324/504/506 भादवि थाना कबरई जनपद महोबा
26. धर्मेन्द्र यादव पुत्र विजय यादव निवासी ग्राम सुनैचा, कबरई जनपद महोबा सम्बन्धित अ0स0 101/2016 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कबरई जनपद महोबा

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं
प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:– 12.04.2026
महोबा पुलिस
मीडिया सेल, महोबा

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा की अध्यक्षता में ई-साक्ष्य, यक्ष ऐप, ई-सम्मन व नेटग्रिड के प्रभावी उपयोग हेतु पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

आज दिनांक 12.04.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह की अध्यक्षता में पुलिस लाइन स्थित सभागार में एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जनपद के क्षेत्राधिकारीगण भी उपस्थित रहे।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न थानों पर नियुक्त समस्त विवेचकों/उ0नि0 गण को आधुनिक तकनीकों के प्रभावी उपयोग के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। प्रशिक्षण के दौरान ई-साक्ष्य ऐप, यक्ष ऐप, ई-सम्मन की तामीला, नेटग्रिड तथा अन्य महत्वपूर्ण डिजिटल एप्लीकेशनों के उपयोग के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया।

इस दौरान अधिकारियों द्वारा उ0नि0 गणों को बताया गया कि वर्तमान समय में तकनीकी संसाधनों का कुशल प्रयोग विवेचना की गुणवत्ता एवं पारदर्शिता को बढ़ाने में अत्यंत सहायक है। साथ ही, सभी को निर्देशित किया गया कि वे इन एप्स का प्रभावी ढंग से उपयोग कर विवेचनाओं को त्वरित, सटीक एवं साक्ष्य आधारित बनाएं।

कार्यक्रम के अंत में उपस्थित अधिकारियों द्वारा विवेचकों की जिज्ञासाओं का समाधान किया गया तथा उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म के अधिकतम उपयोग हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। महोबा पुलिस द्वारा इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से पुलिस कार्यप्रणाली को और अधिक सुदृढ़ एवं तकनीकी रूप से सक्षम बनाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक:– 12.04.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा की उपस्थिति में 9.110 किग्रा मादक पदार्थों का इंसीनरेटर मशीन से विनष्टीकरण ।

जनपद में मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 12.04.2026 को पुलिस लाइन महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह (अध्यक्ष) के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा की उपस्थिति में विभिन्न थानों पर पंजीकृत कुल 10 मुकदमों से संबंधित मादक पदार्थों का विधिवत विनष्टीकरण कराया गया।

इस दौरान कुल 9.110 किलोग्राम गांजा एवं 100 ग्राम डायजापाम को नियमानुसार तौलकर इंसीनरेटर मशीन के माध्यम से नष्ट किया गया। यह संपूर्ण कार्यवाही जनपद स्तरीय मादक पदार्थ विनष्टीकरण कमेटी की निगरानी में पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई गई।

विनष्टीकरण प्रक्रिया के दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरुण कुमार सिंह, अभियोजन अधिकारी श्री के.पी. सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं थाना प्रभारी उपस्थित रहे। पूरी कार्यवाही की पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी भी कराई गई।

जनपद पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई निरंतर जारी है। इस प्रकार की प्रभावी कार्यवाही से समाज में नशे के विरुद्ध सख्त संदेश दिया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः- 12.04.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

अजनर पुलिस की सक्रियता से गुमशुदा व्यक्ति सकुशल बरामद, परिजनों को किया गया सुपुर्द।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकांत गोंड के पर्यवेक्षण में जनपद में चलाए जा रहे गुमशुदगी अभियान के क्रम में थाना अजनर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

थानाध्यक्ष अजनर उ0नि0 श्री सुभाषचन्द्र के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा गुमशुदगी नं0- 04/2026 दिनांक 12.04.2026 से सम्बन्धित गुमशुदा व्यक्ति कल्लू अहिरवार पुत्र सुल्ला उम्र करीब 57 वर्ष निवासी ग्राम महुआबाँध थाना अजनर जनपद महोबा को सकुशल बरामद किया गया।

बरामदगी के उपरांत आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुमशुदा व्यक्ति को उसकी इच्छानुसार उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। इस सफलता से परिजनों में खुशी का माहौल है तथा उन्होंने महोबा पुलिस का आभार व्यक्त किया।

गुमशुदगी का विवरणः

- गुमशुदगी नं0- 04/2026 दिनांक 12.04.2026
- आवेदक– श्री अरविन्द पुत्र कल्लू अहिरवार, निवासी ग्राम महुआबांध थाना अजनर जनपद महोबा
- गुमशुदा– कल्लू अहिरवार पुत्र सुल्ला, उम्र करीब 57 वर्ष, निवासी ग्राम महुआबाँध थाना अजनर जनपद महोबा

बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः

1. उ0नि0 ऋषी शुक्ला, थाना अजनर जनपद महोबा
2. का0 रावेश कुमार, थाना अजनर जनपद महोबा

महोबा पुलिस द्वारा जनपद में गुमशुदा व्यक्तियों की बरामदगी हेतु सतत अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

@MahobaPolice

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांकः– 12.04.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

मिशन शक्ति अभियान 5.0 :- परिवार परामर्श केन्द्र की पहल से 01 परिवार में लौटी खुशियाँ, आपसी मतभेद हुए दूर...।

मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अन्तर्गत जनपद महोबा पुलिस द्वारा संचालित परिवार परामर्श केन्द्र के प्रभावी प्रयासों से कई बिखरते परिवारों को टूटने से बचाया गया है। संवाद, समझ और संवेदनशील परामर्श के माध्यम से पारिवारिक विवादों का समाधान कर परिवारों में पुनः खुशियों की वापसी कराई गई।

आज दिनांक 12.04.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में पुलिस लाइन महोबा स्थित सभाकक्ष में परिवार परामर्श केन्द्र का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रभारी महिला थाना उ0नि0 निकिता शुक्ला द्वारा की गई। कार्यक्रम में परिवार परामर्श केन्द्र के सभी सम्मानित सदस्यगण उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान पति-पत्नी के 15 ऐसे जोड़ों, जिनके मध्य पारस्परिक पारिवारिक विवाद चल रहा था, की गहन काउंसिलिंग की गई। प्रत्येक प्रकरण को गंभीरता से सुना गया तथा दोनों पक्षों की समस्याओं के समाधान हेतु संयमित, सकारात्मक एवं संवेदनशील परामर्श प्रदान किया गया। काउंसिलिंग के परिणामस्वरूप 01 पति-पत्नी (दंपत्ति) पुनः आपसी सहमति से साथ रहने के लिए राज़ी हुए। शेष प्रकरणों को आगामी तिथि पर पुनः काउंसिलिंग हेतु आमंत्रित किया गया है।

परिवार परामर्श केन्द्र एवं जनपद महोबा पुलिस के इन सफल प्रयासों की प्रभावित परिवारों एवं उनके परिजनों द्वारा सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया गया।

परामर्श कार्यक्रम के दौरान म0कां0 अनुप्रिया, म0कां0 आरती यादव, म0का0 किरन, म0का0 शाशि सहित परिवार परामर्श कमेटी से काउंसलर श्रीमती विभा पुरवार, श्रीमती अंशू शिवहरे, श्री रामजी गुप्ता, श्री शिवकुमार गोस्वामी, श्री सुरेश जायसवाल आदि सम्मानित सदस्यों की गरिमामयी उपस्थिति सराहनीय रही।